



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

24 भाद्र 1948 (श0)
(सं0 पटना 1115) पटना, मंगलवार, 15 सितम्बर 2026

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

15 सितम्बर 2026

सं० 7/स्था0-04-02/2016-16906/सा0प्र0—महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक-81343 दिनांक 03.09.2026 द्वारा संसूचित अनुशंसा में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील सं०-1698/2020 में दायर रिव्यू पेटीशन (सिविल) सं०-621/2021 में दायर Miscellaneous Application सं०-1249/2026 में दिनांक 22.05.2026 तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में दायर सिविल अपील सं०-3947/2020 रजानिश के०वी० बनाम के० दीपा एवं अन्य तथा अन्य सदृश्य वादों में दिनांक 11.03.2026 को पारित आदेश के आलोक श्री संतोष कुमार, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सहरसा को जिला न्यायाधीश (प्रवेश बिन्दु) बार से सीधी भर्ती परीक्षा, 2016 के तहत निम्नांकित शर्तों के अधीन जिला न्यायाधीश (प्रवेश बिन्दु) यथा जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश के पद पर पुनर्बहाल किया जाता है:-

- प्रासंगिक वादों में पारित आदेश के तहत उक्त पदाधिकारी वरीयता एवं वैचारिक वेतन निर्धारण/वेतनवृद्धि के सभी संबंधित लाभों के हकदार होंगे, किन्तु उन्हें कोई बकाया वेतन की अनुमान्यता नहीं होगी।
- बिहार उच्च न्यायिक सेवा में उनकी नियुक्ति/योगदान की मूल तिथि से ही उपर्युक्त सभी लाभों के साथ सेवा में निरंतरता मानी जायेगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
रजनीश कुमार,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1115—571+10-डी0टी0पी0।

Website: <https://egazette.bihar.gov.in>